[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 32 /2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 3904 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 13 जून, 2014, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/34/2018-डीजीटीआर, दिनांक 29 अक्तूबर, 2018, जिसे दिनांक 29 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

और जहां कि केन्द्र सरकार ने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की अवधि को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 जून, 2019, जिसे सा.का.नि. 1222 (अ), दिनांक 11 जून, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा 12 अगस्त, 2019, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/34/2018-डीजीटीआर, दिनांक 18 जुलाई, 2019, जिसे दिनांक 18 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित, अपने अंतिम निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि:-

(i) प्रश्नगत उत्पाद का पीओआई के दौरान विषयगत देशों से बहुत ही कम कीमत पर भारत को निर्यात किया गया है;

(ii) इससे पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग को न तो कीमत की दृष्टि से और न ही प्रतिपाटन शुल्क जैसे उपायों को लागू होने के कारण मात्रा की दृष्टि से कोई सारवान क्षति हुई है । प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिए जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से आयात होने से यहां क्षति होने की संभावना है । थाईलैंड से आयात होने से जो क्षति हो सकती है वह बहुत ही कम और नगण्य के बराबर है ।

(iii) इस संभावित विश्लेषण से पता चलता है कि यदि प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से जो निर्यात भारत से भिन्न देशों को हो रहा है वह

भारत को होने लगेगा । इस प्रकार के दिशा परिवर्तित निर्यात के भारी भरकम मात्रा के अवतरण मूल्य से हमारे घरेलू उद्योग को, उस समय जब पीओआई के पश्चात हम एनआईपी से इसकी तुलना करेंगे तो, उद्योग को काफी नुकसान हो जाएगा ।

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट मात्रा की दर से कॉलम (9) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:

<u>शुल्क सारणी</u>

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	i. मैसर्स टिआनजिंग एलजी बोहाई केमिकल कंपनी लिमिटेड ii. मैसर्स टिआननिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड iii. मैसर्स टिआनजिन डागू केमिकल कंपनी लिमिटेड iv. मैसर्स झिंगझिआन शेंगझिआंग क्लोर अल्कली कंपनी लिमिटेड v. मैसर्स चिपिंग झिंगफा पीवीसी कंपनी लिमिटेड.	61.14	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

					vi. मैसर्स सी.एन.एस.जी. जिलानटाई साल्ट क्लोरी – अल्कली कंपनी लिमिटेड. vii. मैसर्स यीबिन हाईफेंग हैरूई कंपनी लिमिटेड.			
2.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त कॉलम (6) में i से vii में उल्लिखित उत्पादकों से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	147.96	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	147.96	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसर्स वेस्टलेक विनायल्स कंपनी लिमिटेड या मैसर्स वेस्टलेक विनायल्यस इंक या मैसर्स एक्सल, एलएलसी	29.99	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसर्स ओक्सी विनायल्स, एलपी	49.10	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसर्स वेस्टलेक विनायल्स कंपनी लिमिटेड या मैसर्स वेस्टलेक विनायल्यस इंक या मैसर्स एक्सल, एलएलसी, मैसर्स ओक्सी विनायल्स, एलपी को छोड़कर अन्य कोई भी उत्पादक	115.54	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	3904	विनाइल क्लोराइड मोनोमर का	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य	कोई भी	115.54	मैट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड)		कोई भी देश				

नोट : विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपालिमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जहां विभिन्न पालिमर श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, हालांकि, जिसमें विशेष पा ली विनाइल क्लोराइड सस्पेंशन रेजिंस जैसे कि क्रास-लिंक्ड पाली विनाइल क्लो राइड, क्लोरिनेटिड पाली विनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड-विनाइल एसिटेट को पालीमर – (वीसी-वीएसी), पाली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन और पाली विनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेसिन शामिल नहीं हैं ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क 13 अगस्त, 2019 से 30 महीने की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/70/2007 –टीआरयू (पार्ट-।।)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार